दिनांक 01.11.2014 को गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा जिला हरिद्वार, के अन्तर्गत बुधवाशहीद क्षेत्र में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आहूत लोकसुनवाई का कार्यवृत्त

गढ़वाल मंडल विकास निगम, द्वारा जिला हरिद्वार के अन्तर्गत बुधवाशहीद क्षेत्र में उपखनिज चुगान संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 के अन्तर्गत आच्छादित है। लोक परामर्श हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में दिनाक 02.10.2014 को प्रकाशित की गयी थी। जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त) की अध्यक्षता में राजकीय प्राथमिक विधालय बंजारावाला में लोक सुनवाई आयोजित की गयी । लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्नानुसार रही।

अध्यक्ष महोदया की अनुमति द्वारा दिनांक 01.11.2014 को लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। इस अनुक्रम में परामर्शी संस्था ग्रास रूट्स रिसर्च एण्ड क्रिएसन इण्डिया प्रा0लि0, नोएडा द्वारा परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रबन्धन योजना कर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

- इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य नदी से उपखनिजों का संग्रहण किया जाना है, जिसका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। प्रस्तावित नदी स्थल हरिद्वार जिले के, बुधवाशहीद क्षेत्र में सुखराव एवं मोहनराव नदी के निकट स्थित है एवं आरक्षित वन क्षेत्र हरिद्वार वन विभाग के अर्न्तगत नही है।
- परियोजना क्षेत्र भूकम्प जोन 4 के अन्तर्गत आच्छादित है। कार्य क्षेत्र में कोई पुरात्तविक स्मारक एवं रक्षा प्रतिष्ठान नही है।
- प्रस्तावित खनन /चुगान में गंगा नदी में 92.504 हेक्टेअर क्षेत्रफल से 10.50 लाख टन खनिज प्रतिवर्ष (खनन) चुगान निष्कर्षण हेतु है। इस परियोजना में नदी के तटों से 15% भाग और नदी जल से 12 मीटर सुरक्षित दूरी छोडकर खनन किया जायेगा। खनन की कुल गहराई 1.5 मीटर तक सीमित होगी तथा खनन पूर्ण रूप से मैन्यूएल व वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा। प्रस्तावित आपेक्षित खनन अवधि 5 साल की होगी, और वर्ष के नौ महिनो में खनन का कार्य किया जायेगा।
- प्रस्तुतिकरण के समय पर्यावरण मूल्यांकन प्रभाव रिपोर्ट में प्रदर्शित जल/वायु/ध्वनि इत्यादि के एकत्रित नमूनो के परिणामों को भी दिखाया गया जो कि मानको के अनुरूप बताये गये।
- परियोजना स्थल पर कोई विस्फोटक सामग्री का प्रयोग नही किया जायेगा। गढ़वाल मंडल विकास निगम के सीमांकन के पश्चात मैन्यूअल तरीके से ही खनन किया जायेगा।
- ट्रको एवं वाहनो के चलने से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु वाहनों के रखरखाव, यातायात प्रबन्धन, ध्वनि का अनुश्रवण तथा पीयूसी प्रमाणित वाहनो का ही प्रयोग किया जायेगा। धूलकणो की रोकथाम हेतु कार्यस्थल एवं सडको पर पानी छिडकाव किया जायेगा।
- कार्यरत कार्मिको को समस्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करायें जायेंगे तथा परियोजना मे पर्यावरण प्रबन्धन हेतु रू0 11.06. लाख का बजट प्रस्तावित है।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय को उनके सूझाव एवं आपत्तियों हेतु आमंत्रित किया गया तथा जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सूझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. श्री प्रेमपाल द्वारा कहा गया कि वर्तमान में क्षेत्र में संचालित समस्त स्टोन कशर स्वामी खनन हेतु अपने स्वयं के वाहन प्रयोग करते है। जिससे स्थानीय लोगों को सीधे रोजगार नही मिल पाता है। इस पर गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा बताया गया कि खनन में प्राथमिकता स्थानीय लोगों को दी जायेगी। स्थानीय लोगों के ट्रैक्टरों का पंजीकरण होगा एवं उनको खनन हेतु प्रवेश पत्र दिये जायेगें।
2. श्री संजय चौहान द्वारा बताया गया कि स्थानीय ग्रामवासियों के वाहनों को खनन में प्राथमिकता दी जानी चाहीये जिससे स्थानीय लोगों के जीवीकोपार्जन में वृद्धि होगी। उनके द्वारा यह तथ्य मुख्य रूप से रखा गया कि जब ग्राम पंचायत की भूमि पर ही खनन हो रहा है तो उससे मिलने वाले लाभ में प्राथमिकता स्थानीय लोगों को मिलनी चाहिये। स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा यह भी बताया गया कि छोटे वाहनों का शोषण न हो इस पर किस प्रकार से रोक लगायी जा सकती है। गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा बताया गया कि वैज्ञानिक तरीके से एवं सरकारी माध्यम से खनन होने पर इस प्रकार की समस्या नही होगी।
3. श्री जगपाल द्वारा पूछे जाने पर बताया गया कि खनन सुखराव व मोहनराव नदी में होगा जिस पर श्री जगपाल द्वारा कहा गया कि वर्तमान में सुखराव नदी की स्थिति बहुत खराब है। अतः वहां खनन ना किया जाये। जबकि चिल्लावाला क्षेत्र में खनन होना चाहिये। इस पर गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा बताया गया कि चिल्लावाला क्षेत्र हेतु पृथक से प्रकिया की जायेगी तथा सुखराव नदी के सम्बन्ध में स्थानीय लोगों की उपस्थिति में खनन हेतु नदी का सीमांकन किया जायेगा।
4. श्री जयपाल सिंह द्वारा बताया गया कि अुधवाशहीद के किसानों के तटबन्धों हेतु वित्तीय सहायता सरकार द्वारा दी जानी चाहिये जिस पर परियोजना प्रबन्धन द्वारा बताया गया कि इस प्रकार के कार्यो हेतु परियोजना में 11 लाख रूपये का बजट रखा गया है।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदया द्वारा मत विभाजन की कार्यवाही कराई गयी एवं कहा गया कि जो भी व्यक्ति गंढवाल मंडल विकास निगम द्वारा बुधवाशहीद क्षेत्र में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण के विरोध में हैं वह अपने–अपने हाथ उठाये इस पर सभा में उपस्थित किसी भी व्यक्ति द्वारा खनन के विरोध में मतदान नही किया गया। पुनः यह उच्चारण किया गया कि जो व्यक्ति गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा प्रस्तावित खनन का समर्थन करते है वह अपने–अपने हाथ उठाये इस पर सुनवाई के समय सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों द्वारा हाथ उठाकर खनन के पक्ष में मतदान किया गया।

अतः उपरोक्त मत विभाजन की कार्यवही के अनुकम में वैज्ञानिक तरीके से बुधवाशहीद क्षेत्र से गढवाल मंडल विकास निगम के द्वारा उप खनिज चुगान की सहमति दर्ज करते हुये कार्यवृत्त को जन समुदाय को पढकर सुनाया गया तथा पुरी प्रकिया की विडियो रिर्काडिंग भी कराई गयी। अन्त में अध्यक्ष महोदया के धन्यवाद के साथ लोक सुनवाई का समापन किया गया।

एम0डी0 ढौंडियाल समन्वयक, गंढवाल मंडल विकास निगम, हरिद्वार	डॉ0 अंकुर कंसल क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0) उ0प0सं0प्र0नि0बो0, रूडकी	रवनीत चीमा अपर जिलाधिकारी (वित्त) जिला हरिद्वार

दिनांक 01.11.2014 को गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा जिला हरिद्वार, के अन्तर्गत बुधवाशहीद नदी में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आहूत लोकसुनवाई मे उपस्थिति।

क्रम स.	नाम	हस्ताक्षर
(1)	रवनीत चीमा (अपर जिलाधिकारी (वित्त) जिला हरिद्वार	[signature]
(2)	डा० अंकुर कंसल (क्षेत्रीय अधिकारी UEPPCB R.O. Roorkee	[signature]
(3)	राजेन्द्र कठारी (सहा० पर्या० अभि० UEPPCB Roorkee.	[signature]
(4)	[illegible] (गढ़वाल मंडल विकास निगम हरिद्वार	[signature]
(5)	मो० इमरान	मो० इमरान
6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[signature]
8	[illegible]	[signature]
9	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[signature]
12	मुकेश सैनी	मुकेश
13	[illegible] चौहान	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]
16	जब्बार	जब्बार
17	Anil tomar	[signature]

क्रम स.	नाम	हस्ताक्षर
18	आबिद	आबिद
19	आदिल	आदिल
20	अब्दुल सत्तार अंसारी	[illegible]
21	अकरम अली	अकरम अली
22	झौमाराम चौहान	झौमाराम चौहान
23	इमरान	इमरान
24	जयपाल सिंह	जयपाल सिंह
25	Rad	Rad
26	श्याम कुमार	श्याम कुमार
27	चमन सिंह	चमन सिंह
28	शोभाराम	शोभाराम
29	[illegible]	[illegible]
30	नवली सैनी	नवली सैनी
31	गुलजार	गुलजार
32	Prakash	Prakash
33	उमर	[illegible]
34	सोनू	सोनू
35	वसीम	वसीम
36	साकिर	साकिर
37	शौकिन	शौकिन

क्रम स.	नाम	हस्ताक्षर
38	शाहनवाज	शाहनवाज
39	प्रवेश	प्रवेश
40	आरिफ	आरिफ
41	सुनीलकुमार	सुनीलकुमार
42	महबूब	महबूब
43	आलम	आलम
44	Pankaj Tomar	[signature]
45	Mansa Ram	[signature]
46	Sachin kumar Tomar	Sachin [signature]
47	Manoj Kumar	[signature]
48	Yogesh. Tomar	[signature]
49	Dr. Sudesh pal	सुदेश पाल
50	Rahul Dhania	Rahul [signature]
51	[illegible] Singh	[signature]
52	Prakash kumar	[signature]
53	Prithi Ram	[signature]
54	प्रदीप	प्रदीप
55	सुरेश	सुरेश
56	राजेशपाल	राजेशपाल
57	जुलफान	जुलफान

	नाम	हस्ताक्षर
58	प्रवीन	प्रवीन
59	मोती राम	मोती राम
60	Ashok	Ashok
61	[illegible]	[illegible]
62	[illegible]	[illegible]
63	रजिन्द्रपाल	रजेन्द्र पा
64	रमेश चन्द	रमेश चन्
65	सन्तोष	सन्तोष
66	राधेश्याम	राधेश्याम
67	नीटू तोमर	नीटू तोमर
68	मदन श्रीपाल	मदन श्रीपाल
69	विवेक कुमार - Asst. manager GRC Noida	[illegible]
70	शौकत मलिक Asst. Manager GRC Noida	[illegible]